कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 1848 / स0क0 / दशमो0छात्र0 / 2019–20 दिनॉक :– 13–2–2020

रजिस्ट्रार / निदेशक / छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
समस्त इंजी0 / मैनेज0 / मेडिकल / महाविद्यालय / आई0टीआई0 / समस्त तकनीकी संस्थायें / स्नातक संस्थायें / बी0एड0 संस्थायें, जनपद गाजियाबाद।

विषय :– नवीन समय सारिणी दिनॉक 29.01.2020 के अनुसार छात्रों हेतु विभिन्न कारणों से बैंकों से रिजेक्ट खातों को सही करने हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र सं0 सी–4866 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 181 / 2019–20 दिनॉक 07फरवरी,2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंक खातों का बैंक द्वारा रिजेक्शन पी0एफ0एम0एस के माध्यम से अनुसूचित जाति एंव सामान्य वर्ग के छात्रों का लॉगिन पर प्रदर्शित हो रहा है। बैंको के द्वारा पी0एफ0एम0एस के माध्यम से दियेग गये रिस्पांस के अनुसार निम्न प्रकार के कारणों से खाता रिजेक्ट किये गये है :–

1– Rejected by Bank, As per Bank Account Number is invaild.

2- Rejected by Bank, As Account Number does not exist in Bank.

3- Rejected due to no response received from banks within specified days.

4- Rejected by Bank ,Account status is closed.

5- Invalied IFSC Code.

निदेशालय के उक्त पत्र दिनॉक 07फरवरी,2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कारणों से रिजेक्ट हुए खातो को सही करने हेतु भी छात्रों को उक्त अवधि दिनॉक 11फरवरी,2020 से 16 फरवरी,2020 के मध्य खोला जाना है जिससे कि छात्र अपना खाता / बैंक शाखा / बैंक का नाम इत्यादि सही करे पुनः सबमिट कर सकें। ऐसे सबमिट किये गये खातों को पुनः पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस के लिए भेजा जायेगा तथा सही रिस्पांस प्राप्त होने पर उसे आगे की कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रकियानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी के लांगिन पर डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृति /अस्वीकृति हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

अतः निदेशालय पत्र सं0 दिनॉक 07फरवरी,2020 के कम आप सभी संस्थाओ को निर्देशित किया जाता है कि आपकी संस्था से छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले ऐसे सभी छात्र / छात्राओ को निर्देशित कराना सुनिश्चित करें, जिनके बैंक खाते पी0एफ0एम0एस द्वारा रिजेक्ट डाटा कर दिये गये ताकि निर्धारित समयावधि दिनॉक 11फरवरी,2020 से 16 फरवरी,2020 के मध्य छात्र / छात्रायें अपना बैंक खाता संख्या शुद्व कर सकें।

सलंग्नक उक्तानुसार।

कृते जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गाजियाबाद।